कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1308 / 12-1 :देहरादूनःदिनांकः 06 जनवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परितर्वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में सौनी देवलीखेत ड्योढ़ाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/20119/2016)

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0री0पी0/06/182/2016/एफ0री0/627 दिनांक 19.07.2017।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1421/12–1(2) दिनांक 01.12.2023 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है0 ग्राम असगोली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है0 ग्राम असगोली सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो का रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1117194.00 लाख जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–01)** तथा 4.41 है0 असगोली सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दी गयी है, जिसकी खतौनी प्रस्तावक विभाग द्वारा मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।**(संलग्नक–02)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण (विभाग द्वारा) भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2000 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन.पी.वी. की धनराशि रू0 1448685.00 लाख जमा कर दी गयी है।**(संलग्नक–01 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान दर से एन.पी.वी. में बढोतरी हुई तो बढी हुई दरों से एन.पी.वी. जमा कर दी जायेगी। इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है।**(संलग्नक–03)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. के तहत दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि तथा अन्य निधियॉ तथा क्षतिपूरक की कुल धनराशि रू 2565879.00 लाख (CAMPA) के खाते में Online Portal के माध्यम से चालान Generate कर दी गयी,

	खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–01 के अनुसार)**
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्वता प्रेषित की जानी है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा (Central Verge) विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में (Strp Plantation) की जायेगी। इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–04)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1308 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।